

राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला-बाड़मेर

सूराम पुत्र आलाराम जाति भील निवासी
डीडावा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण

1. पुरोदेवी पुत्री होथीराम
2. पालू पत्नी केवलाराम
जातियान भील निवासीगण डीडावा तहसील सेड़वा जिला
बाड़मेर।
3. तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 31/2025

07/02/25 प्रार्थी फगलूराम पुत्र आलाराम जाति भील निवासी डीडावा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता श्री दोषमोहम्मद वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ तहसील सेड़वा के मौजा डीडावा पटवार क्षेत्र भंवरिया भू.अ.नि. बाखासर के खाता संख्या नया 86 के खसरा संख्या 136/3 रकबा 3.9659 हैक्टेयर किस्म वारानी सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते हैं। अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तहसील सेड़वा के मौजा डीडावा पटवार क्षेत्र भंवरिया भू.अ.नि. बाखासर के खाता संख्या नया 86 के खसरा संख्या 136/3 रकबा 3.9659 हैक्टेयर किस्म वारानी सोयम भूमि के राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा न करे तथा मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब आगामी पेशी तारीख 27/03/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

27/03/25 पत्रावली पेश हुई। पीठारीन अधिकारी मिर्गल
काश्यों में वास्त है, मिर्गल इत्तवा होकर पत्रावली
पूर्व अपेक्षानुसार आर्डेन्दा दिनांक 23/04/25
को पेश हो।

23/04/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 01
के वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी संख्या 01 के
जवाब व अप की तलबी हेतु पत्रावली आर्डेन्दा दिनांक
23/04/25 को पेश हो।

04/05/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 01
के वकील उप.। पत्रावली वास्ते पूर्व आदेश की पालना
में आर्डेन्दा दिनांक 28/06/25 को पेश हो।



30/05/25 प्रावनी केस हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित।
प्रार्थी स्वयं उपस्थित। चूंकि मुल्वाद का
जरिह बिना खारिज किया जा चुका है तो
इस आवेदन को अगले चलाने का कोई
औचित्य नहीं है। अतः इस आवेदन की
करिवर्ष इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।
प्रावनी कैसल गुमार होकर दाखिल दफतर
हो। मुल्वाद के संलग्न हो।

सेवा में
उपस्थित
वकील
प्रावनी केस
30/05/25